UPRN010033062026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं.14 (बलात्कार एवं पाक्सो एक्ट)

कानपुर देहात।

पीठासीन अधिकारी– पीयूष तिवारी(एच.जे.एस.)

J.O. Code– UP 1603

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1263/2026

CNR No–**UPRN010033062026**

जीनत पुत्री परवेज आलम निवासिनी मोहल्ला गांधी नगर सिकन्दरा, थाना सिकन्दरा,कानपुर देहात।

... .अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

.....विपक्षी

मुकदमा परिवाद सं०–21488/2024

धारा–504, 506, 34 भा.दं.सं

थाना–अकबरपुर, कानपुर देहात।

अधिवक्ता अभियुक्त – मोहम्मद रईश (एड०)।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी – श्री अमित सिंह चौहान (सहायक लोक अभियोजक)।

दि.01.07.2026

प्रार्थी/ अभियुक्त जीनत पुत्री परवेज आलम की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 1263/2026 संबंधित मु०अ०सं० –21488/2024 अन्तर्गत धारा 504, 506, 34 भा.दं.सं. थाना अकबरपुर, कानपुर देहात के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसका कथन है कि वह वाद के तथ्यों से पूर्णतः परिचित है तथा उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है व इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र व समर्थित शपथपत्र में अभियुक्ता का कथन है कि उसे प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी ने रंजिशन व साजिशन व पेशबन्दी में फर्जी फंसाया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता ने परिवादी के परिवार का कोई जेवर आदि नहीं लिया है, न ही किसी भी व्यक्ति के साथ गाली गलौज की है और न

ही जान से मारने की धमकी दी है। वास्तविकता यह है कि शपथकर्ती का निकाह वादी मुकदमा के साथ दि० 07.10.23 को सम्पन्न हुआ था जिसमें उसके माता पिता व अन्य परिवारीजन ने ससुरालीजन को उपहारस्वरुप जेवरात व ब्रेजा कार दी थी। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के ससुरालीजन निकाह के बाद से ही उसे अतिरिक्त दहेज में फार्चूनर कार की मांग करते हुए मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताड़ित करने लगे। जब प्रार्थिनी/अभियुक्ता व उसके परिवारीजन उक्त मांग को पूरी न कर पाए तो परिवादी व उसके अन्य परिवारीजन प्रार्थिनी के साथ मारपीट करने लगे तथा उसे दिनांक 09.04.24 को मारपीट कर दहेज की मांग को लेकर घर से निकाल दिया। तदुपरान्त प्रार्थिनी/अभियुक्ता ने परिवादी व अपने ससुरालीजन के विरुद्ध थाना अकबरपुर में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस रिपोर्ट के आधार पर मु०अ०सं० 529/24 कायम हुआ, जिसकी प्रति इस जमानत आवेदन के संलग्नक के रुप में प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का देवर कामरान भी उस पर गलत नीयत रखता था व छेड़छाड़ करता था। उपरोक्त आपराधिक वाद के अतिरिक्त प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा परिवादी के विरुद्ध पारिवारिक न्यायालय में गुजारा भत्ता प्रदान किये जाने संबंधी तथा न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) (F.T.C)/ C.A.W में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत वादों को दाखिल किया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा की गयी उक्त कार्यवाही की पेशबन्दी में परिवादी द्वारा झूठे तथ्यों पर यह परिवाद पंजीकृत कराया गया है। पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थिनी/अभियुक्ता व अन्य अभियुक्तगण को धारा 406, 323, 504, 506, 34 भा.दं.सं के अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया था, जिस तलबी आदेश के विरुद्ध प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 528 भा.ना.सु.सं सं० 19105/2026 प्रस्तुत किया गया, जिस पर आदेश दिनांकित 15.05.26 पारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 323, 406 भा.दं.सं के अपराध में विचारण हेतु तलब किये जाने संबंधित अवर न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया तथा शेष धाराओं में विचारण हेतु उपस्थित होने के लिये आदेशित किया गया। प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर आक्षेपित अपराध धारा 482 भा.ना.सु.सं की उपधारा 6 के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता की समाज में अच्छी छवि है तथा उसे अग्रिम जमानत प्रदान न किये जाने की दशा में उसकी छवि धूमिल हो जाएगी। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों/आधारों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र के विरुद्ध मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ता द्वारा परिवादी के साथ गाली गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी गयी है। प्रकरण में तलब किये गये अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारन्ट का आदेश पारित किया गया है, जिस तथ्य को आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लिखित नहीं किया गया है। ऐसे में प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्ता का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना व जमानत आवेदन से संबंधित

स्थानीय थाने से प्राप्त आख्या तथा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय, कानपुर देहात से तलबशुदा मुकदमा परिवाद सं० 21488/24 मनाजिर अख्तर बनाम जीनत आदि अन्तर्गत धारा 504, 506, 34 भा.दं.सं थाना अकबरपुर की पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

मजिस्ट्रेट न्यायालय से तलबशुदा प्रकरण से संबंधित दांडिक वाद की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी मनाजिर अख्तर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 15.04.26 पारित करते हुए आवेदक/अभियुक्ता व तीन अन्य अभियुक्तगण को धारा 406, 323, 504, 506, 34 भा.दं.सं के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया था। तलबशुदा अभियुक्तगण ने मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका अन्तर्गत धारा 528 भा.ना.सु.सं सं० 19105/26 जीनत बेगम व तीन अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिका का निस्तारण आदेश दिनांकित 15.05.26 के माध्यम से करते हुए आवेदक पक्ष की याचिका को आंशिक रुप से स्वीकार किया था तथा अभियुक्तगण की धारा 406 व 323 भा.दं.सं के अपराध में की गयी तलबी को अपास्त करते हुए, उनकी शेष आपराधिक धाराओं 504, 506 व 34 भा.दं.सं में की गयी तलबी को यथावत रखा गया था।

मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली के आदेश पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा तलबी आदेश पारित किये जाने से पूर्व अभियुक्ता पक्ष को सुना गया था, जिस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण को तलबी आदेश पारित होने की पूर्ण जानकारी थी। आदेश पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रकरण में तलबी आदेश पारित किये जाने के उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से दिनांक 07.05.26 की तिथि पर उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारन्ट की आदेशिका निर्गत करने का आदेश पारित करते हुए वाद में अग्रिम तिथि दि० 16.05.26 नियत की थी। प्रार्थी/अभियुक्ता व अन्य अभियुक्तगण की तरफ से विचारण न्यायालय में दि० 13.05.26 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित होते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने विरुद्ध पारित गैर जमानतीय वारन्ट के आदेश को अपास्त करने की याचना की गयी थी जिसे विचारण न्यायालय द्वारा उसी तिथि पर आदेश पारित करते हुए स्वीकार कर, तलबशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध पारित गैर जमानतीय वारन्ट के आदेश को इस शर्त पर अपास्त किया था कि अभियुक्तगण इस आशय की अंडर टेकिंग प्रस्तुत करेंगे कि वह अग्रिम नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित रहेंगे।

विचारण न्यायालय से प्राप्त वाद की पत्रावली के आदेश पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 16.05.26 की तिथि पर अभियुक्तागण पूर्व पारित आदेश दिनांकित 13.05.26 के अनुपालन में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे तथा उनकी तरफ से उक्त तिथि पर भी उनके अधिवक्ता द्वारा ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद की कार्यवाही को स्थगित किये जाने की याचना की गयी थी, जिसे न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया था। दिनांक 16.05.26 की तिथि के आदेश पत्र में यह भी अंकित है कि बादहू सभी अभियुक्तागण की तरफ से आदेश दि० 13.05.26 के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र व अंडरटेकिंग प्रस्तुत की गयी परन्तु उक्त प्रपत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत न किये जाने के कारण तथा अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण,

पत्रावली पर अस्वीकार्य माने गए तथा अभियुक्त पक्ष के विरुद्ध गैर जमानतीय वारन्ट का आदेश पारित कर दिया गया।

मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली के आदेश पत्र से स्पष्ट होता है कि तत्पश्चात अभियुक्ता पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 21.05.26 की तिथि पर माननीय उच्च न्यायालय के याचिका अन्तर्गत धारा 528 भा.ना.सु.सं सं० 19105/26 जीनत बेगम व तीन अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दि० 15.05.26 की प्रति प्रस्तुत की गयी, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर शामिल मिसिल करते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 34, 504, व 506 भा.दं.सं के अपराध में गैर जमानतीय वारन्ट की आदेशिकाओं को पूर्व पारित आदेश के क्रम में जारी रहने का आदेश पारित किया गया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के आदेश पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा स्वयं के विरुद्ध पारित तलबी आदेश की पूर्ण जानकारी होने के बाद भी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने, विचारण न्यायालय द्वारा उनकी याचना पर उनके विरुद्ध पारित गैर जमानतीय वारन्ट के आदेश को अपास्त करने तथा उन्हें उपस्थिति हेतु निर्देशित किये जाने तथा उनके द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में उपस्थिति दर्ज न कराये जाने तथा उसके पश्चात न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध पुनः गैर जमानतीय वारन्ट आदेश पारित किये जाने संबंधी तथ्यों को प्रार्थी/अभियुक्ता द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व समर्थित शपथपत्र में अंकित नहीं किया गया है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा अवसर दिये जाने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने पर उनके विरुद्ध दिनांक 16.05.26 को गैर जमानतीय वारन्ट निर्गत किये का आदेश पारित किया गया है। आवेदक/अभियुक्ता द्वारा दिनांक 30.05.26 की तिथि पर अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया परन्तु उसके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय द्वारा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु गैर जमानतीय वारन्ट निर्गत किये जाने के तथ्य के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है जबकि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न आदेश पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उसे उक्त आदेश के पारित किये जाने की पूर्ण जानकारी रही थी। ऐसे में तो यही अवधारणा बनती है कि आवेदक/अभियुक्ता द्वारा अपने अग्रिम जमानत आवेदन में तथ्यों को छिपाया गया है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था आशीष कुमार बनाम उ०प्र० राज्य, 2025 SCC आनलाइन इलाहाबाद 4518 के पैरा 32 में यह विधिक अभिमत दिया गया है कि In a complaint case involving accusation of a non bailable offence... ... .(iii) in the event of a non bailable warrant or proclamation issued in the complaint case, anticipatory bail is typically not maintainable. However, in view of the Judgement of the Apex Court in Srikant Upadhyay case, The court may grant pre–arrest bail in exceptional circumstances in the interest of justice.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था श्रीकान्त उपाध्याय बनाम बिहार

राज्य, 2024 SCC आनलाइन SC 282 में यह विधिक अभिमत दिया गया है कि We have already held that the power to grant anticipatory bail is an extraordinary power. Though in many cases it was held that bail is said to be a rule, it cannot, by any stretch of imagination, be said that anticipatory bail is the rule. It cannot be the rule and the question of its grant should be left to the cautious and judicious discretion by the Court depending on the facts and circumstances of each case. While called upon to exercise the said power, The Court concerned has to be very cautious as the grant of interim protection or protection to the accused in serious cases may lead to miscarriage of justice and may hamper the investigation to a great extent as it may sometimes lead to tampering or distraction of the evidence. We shall not be understood to have held that the Court shall not pass an interim protection pending consideration or such application as the section is destined to safeguard the freedom of an individual against unwarranted arrest and we say that such orders shall be passed in eminently fit cases. At any rate, when warrant of arrest or proclamation is issued, the applicant is not entitled to invoke the extraordinary power. Certainly, this will not deprive the power of the Court to grant pre–arrest bail in extreme, exceptional cases in the interest of justice. But then, person continuously, defying orders and keep absconding is not entitled to such grant.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित विधिक दृष्टान्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारन्ट की आदेशिका जारी किये जाने की दशा में, विशेष परिस्थितियों में ही किसी अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जा सकता है।

प्रस्तुत वाद के तथ्यों में यह स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्ता को न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश की पूर्ण जानकारी, आदेश पारित होने की तिथि से ही रही है। उसकी तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध निर्गत गैर जमानतीय वारन्ट आदेश को अपास्त किया गया था तथा अभियुक्ता को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इसके उपरान्त भी अभियुक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गयी। इसके अतिरिक्त माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्ता की याचिका अन्तर्गत धारा 528 भा.ना.सु.सं सं० 19105/26 जीनत बेगम व तीन अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में आदेश दिनांकित 15.05.26 पारित करते हुए भी यह निर्देशित किया गया था कि However, the present proceedings for the offence u/s 504, 506, 34 I.P.C. are left undisturbed, for which the concerned trial Court may proceed in accordance with law and the applicants are at liberty to apply for bail before the Court concerned for such offences. माननीय

न्यायालय के उक्त आदेश को अभियुक्ता पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 21.05.26 की तिथि पर उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया परन्तु माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुक्रम में उपस्थित होते हुए जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त के आधार पर यही स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्ता पक्ष द्वारा समुचित अवसर प्राप्त होने के बाद भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गयी, जिसके दृष्टिगत ही न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारन्ट आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों को अपने जमानत आवेदन में अंकित भी नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्ता पूर्ण जानकारी के बावजूद भी विचारण न्यायालय में लगातार अनुपस्थित बना रहा है। ऐसा करते हुए उसके द्वारा विचारण न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन भी नहीं किया गया है।

ऐसे में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त जीनत पुत्री परवेज आलम की ओर मुकदमा परिवाद सं० – 21488/2024 अन्तर्गत धारा 504, 506, 34 भा.दं.सं थाना अकबरपुर, कानपुर देहात के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 1263/2026 निरस्त किया जाता है।

(पीयूष तिवारी)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.14
(बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट)
कानपुर देहात।
J.O. Code– UP 1603

Digitally signed by PIYUSH TIWARI
Date: 2026.07.02 13:22:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court